

## न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 89/2018

बउनवान

रामकिशन पुत्र धन्नालाल जाति—मीणा निवासी तिसाया  
तहसील—मोंगरोल, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 04.04.2019

1— अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—तिसाया, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 384/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है ना ही सरकारी तावान बकाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ ही कथन किया कि अधीनस्थ

जिला कलेक्टर  
बारां (राज०)


न्यायालय द्वारा अपीलांत प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4- इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांत के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 295/17 निर्णय दिनांक 14.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5- हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांत व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांत का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6- परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 799/18 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(इन्द्र सिंह राव)  
जिला कलक्टर, बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)